पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 जनवरी, 2017 ई0 (पौष 24, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–02

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	53–64	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	05–16	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	01–06	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना / संशोधन

23 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1179 / IX–1 / 2016 / 90 / 2016–अधिसूचना संख्या 1400 / IX–1 / 2016 / 90 / 2016, दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा हेतु लीड एजेंसी का गठन किया गया था। उक्त में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत् सदस्य नामित किये जाते हैं:–

1.	लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियन्ता, देहरादून	सदस्य,
2.	चिकित्सा विभाग, अपर निदेशक (प्रशासन), देहरादून	सदस्य,
3.	सहायक निदेशक, शहरी विकास, देहरादून	सदस्य,
4.	अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात, पुलिस विभाग, देहरादून	सदस्य,
5.	अपर निदेशक, राज्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद्, देहरादून	सदस्य,
6.	अपर आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य,
7.	रोड सेफ्टी ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सदस्य,
8.	सीमा सड़क संगठन से सम्बन्धित अधिकारी	सदस्य।

2. उक्त अधिसूचना को उक्त सीमा तक यथासंशोधित समझा जाय।

सी0 एस0 नपलच्याल,
सचिव।

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is please to order the publication of the following English translation of the Notification **No.1338A/243/IX/2011,** dated November 29, 2016:

NOTIFICATION

November 29, 2016

No.1338A/243/IX/2011--In exercise of the power conferred by sub section (2) of section 1 of the Uttarakhand Transport and Civil Infrastructure Cess (Amendment) Act, 2016 (Uttarakhand Act no. 13, year 2016), the Governor, appoint 29.11.2016 the date on which the aforesaid Act shall come into force.

By Order,
C. S. NAPALCHYAL.
Secretary.

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

22 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1033 / VII–1 / 17–उद्योग / 2013 TC–श्री राज्यपाल महोदय, औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 556 / VII–2 / 2015 / 17–उद्योग / 2013, दिनांक 28 जुलाई, 2015, के प्रस्तर XI (3) में विद्यमान प्राविधान के स्थान पर अग्रसारित प्राविधान प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्राविधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
XI (3) Interest Subsidy–उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 05 वर्षों तक उद्यमियों को 07 प्रतिशत तक की Interest Subsidy दी जायगी।	उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 05 वर्षों तक उद्यमियों को 07 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी (समस्त ब्याज सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए) निम्नवत् अनुमन्य होगीः– (1) ₹ 50.00 करोड़ से अधिक तथा ₹ 75.00 करोड़ तक पूँजी निवेश हेतु 07 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी अधिकतम सीमा ₹ 25.00 लाख प्रति वर्ष तक दी जायेगी। (2) ₹ 75.00 करोड़ से अधिक तथा ₹ 200.00 करोड़ तक पूँजी निवेश हेतु 07 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी अधिकतम सीमा ₹ 35.00 लाख प्रति वर्ष तक दी जायेगी। (2) ₹ 200.00 करोड़ से ज्यादा पूँजी निवेश हेतु 07 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी अधिकतम सीमा ₹ 50.00 लाख प्रति वर्ष तक दी जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप

22 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1034/VII–1/40–सिडकुल/2014–श्री राज्यपाल महोदय, औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 791/VII–1/40–सिडकुल/2014, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014, के प्रस्तर 9 (III) में विद्यमान प्राविधान के स्थान पर निम्नलिखित प्राविधान प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्राविधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
9(III) Interest Subsidy–उत्तराखण्ड राज्य उत्पादन के उपरान्त आगामी 07 वर्षों तक टैक्सटाईल उद्यम पर 07 प्रतिशत तक की Interest Subsidy दी जायेगी।	उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 07 वर्षों तक टैक्सटाईल उद्यम पर 07 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (समस्त ब्याज सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए) अधिकतम ₹ 50.00 लाख प्रति वर्ष अनुमन्य होगी।

आज्ञा से,
डा0 आर0 राजेश कुमार,
अपर सचिव।